तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/6151/2005/नागौर** **सरकार बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
2– अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

––

आदेश

दिनांक :–5.10.2020

यह रेफरेंस विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31–5–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडनूं ने अवगत कराया कि ग्राम बालसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2006 में खसरा नं0 126 रकबा 137 बीघा 4 बिस्वा डोली बनाम मठ वाके बएतमाम किशनपुरी, गिरधारीपुरी पि0 सुखा पुरी कौम गुंसाई सा0 बालसमन्द दर्ज है। उक्त प्रश्नगत आराजी मन्दिर की भूमि बिना वैद्य कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत् 2022 की मिसल बन्दोबस्त में मन्दिर का नाम हटाकर खसरा नं0 126 रकबा 91 बीघा 9 बिस्वा हरदीनपुरी वल्द गिरधारीपुरी 1/2 खिवपुरी वल्द नारायणपुरी 1/2 कौम गुसांई सा0 बालसमन्द के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः नाबालिग की भूमि में उक्त वर्णित खातेदारी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दी गई है जो कानून विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है। नामान्तकरण सं0 36 के तहत हरदीनपुरी के फौत होने पर भंवरपुरी, सावलपुरी, लादूपुरी वल्द नारायण पुरी 1/2 कौम गुसांई तथा नामान्तकरण सं0 66 के तहत बेचान करने पर खसरा नं0 126/1 रकबा 26 बीघा मु0 मानादेवी जोजे मंगाराम जाट सा0 श्यामपुरा दर्ज हुई एवं नामान्तकरण सं0 158 के तहत मानादेवी के फौत होने पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई। अतः प्रश्नगत भूमि सम्वत् 2056–2059 में खसरा नं0 126/380 रकबा 26 बीघा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसे निरस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/6151/2005/नागौर** **सरकार बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाकर मन्दिर श्री मठ महादेवजी देह मौजा बालसमन्द के नाम दर्ज की जावें। रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर विद्वान प्रार्थी राजकीय पैरोकार तहसीलदार की एकपक्षीय बहस सुनते हुए दिनांक 31–5–2005 द्वारा रेफरेन्स अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया।

3– हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेन्स पर सुनी।

4– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत आराजी मन्दिर की आराजी है तथा खुदकाश्त दर्ज है। सम्वत् 2006 में मन्दिर की आराजी रही है जिसको किसी प्रकार से रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है। चाहे डिक्री हो या, सैटलमेन्ट विभाग से तब्दील किया हो तथा बेचान किया हो वह अवैद्य है। मन्दिर की आराजी का बेचान नहीं हो सकता है। अतः प्रश्नगत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज की जावें।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम बालसमन्द जमाबन्दी सम्वत् 2006 में खसरा नं0 126 रकबा 137 बीघा 4 बिस्वा डोली बनाम मठ वाके बएतमाम किशनपुरी, गिरधारीपुरी पि0 सुखा पुरी कौम गुंसाई सा0 बालसमन्द दर्ज है। उक्त प्रश्नगत आराजी मन्दिर की भूमि बिना वैद्य कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत् 2022 की मिसल बन्दोबस्त में मन्दिर का नाम हटाकर खसरा नं0 126 रकबा 91 बीघा 9 बिस्वा हरदीनपुरी वल्द गिरधारीपुरी 1/2 खिवपुरी वल्द नारायणपुरी 1/2 कौम गुसांई सा0 बालसमन्द के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः नाबालिग की भूमि में उक्त वर्णित खातेदारी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दी गई है जो कानून विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है। प्रश्नगत आराजी सम्वत् 2006 की मिसल बन्दोबस्त एवं खतौनी सम्वत् 2012 से 2015 अनुसार सम्वत् 2010 से पूर्व उक्त भूमि डोली बनाम मठ महादेवजी की थी और मन्दिर डोली का बेचान/हस्तान्तरण या अपने नाम खातेदारी प्राप्त करना कानूनन अवैद्य है क्योंकि उक्त प्रश्नगत भूमि मन्दिर की खुदकाश्त की थी। भूमि मठ/मन्दिर की खातेदारी की है जो सतत् नाबालिग है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/6151/2005/नागौर** **सरकार बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के नाम नहीं हो सकता है। अतः प्रश्नगत भूमि का अप्रार्थीगण के नाम दर्ज इन्द्राज गैर कानूनी होने से रेफरेन्स स्वीकार योग्य है। 7– अतः रेफरेंस **स्वीकार** किया जाकर ग्राम बालसमन्द के खसरा नं0 126/380 रकबा 26 बीघा की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से हटायी जाकर पुनः उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी **मठ महादेवजी** के नाम दर्ज करते हुए नामान्तरकरणों को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। 8– आदेश की सूचना अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। 9– पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	